



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE  
CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional  
Office, Chandigarh

फाइल नम्बर: 9-HRB180/2021-CHA

दिनांक: 21.12.2021

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,  
पंचकुला हरियाणा।

**विषय: Diversion of 0.4760 ha (instead of 0.8066 Ha) forest land for laying of 250mm/150mm/100mm DI pipe line for clear water from Basunda Booster to Daboda, Basunda Booster to Khandewla, Khandewla to Jatola, Fazilpur Badli Taznagar, faridpur to Dhani Ahiran via karola, Gugana to shekhpur Majri & farukh Nagar road to garhi Nathe khan in District- Gurugram. (online proposal no. FP/HR/WATER/144418/2021)**

सन्दर्भ: i) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 10117/4960 दिनांक 22.11.2021.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 0.4760 ha वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

- I. ऑनलाइन पोर्टल पार्ट-1 में एरिया 0.8066 ha के स्थान पर 0.4760 ha किया जाए।
- II. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अधिकृत पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर अपलोड किया जाये।
- III. चूंकि 0.4760 ha डायवर्जन एरिया का सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा 22.11.2021 को निरीक्षण किया गया है, अतः वन संरक्षक की जांच रिपोर्ट भी अपलोड की जाए।
- IV. संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम 952 पौधों के स्थान पर (218\*10) 2180 पौधों के लिए भेजी जाए।
- V. भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र संशोधित प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार भेजा जाए।
- VI. सभी सहायक दस्तावेज जांच कर संशोधित एरिया 0.4760 ha के अनुसार पोर्टल अपलोड पर अपलोड किए जाए।
- VII. ले आउट प्लान संशोधित एरिया 0.4760 ha के लिए भेजा जाए।

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

( राजा राम सिंह )

उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)

IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:

1. The Divisional Forest Officer, Forest Division and District Gurugram, Haryana (dfo.ggn-hry@nic.in, dfo.gurgaon@yahoo.in).
2. Sudhir Ransiwala, Executive Engineer, PHED GURUGRAM. ( phedgurgaon@gmail.com)

Signed by Raja Ram Singh